

प्रेषक,

310 राजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उपर्युक्त शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
यिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उपर्युक्त लखनऊ।

यिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

विषय— राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/यिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0
/बी0डी0एस0/स्नातकोत्तर/पी0जी0 डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में
प्रवेश पाने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के साबन्ना
में।

महादयः

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0-3 / 2017 / 457 दिनांक 22.06.2017 का कृपया
सन्दर्भ में हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में यिकित्सकों की कमी के

दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कालेजों/संस्थानों/यिकित्सा विश्वविद्यालयों में एम0बी0बी0एस0 /
बी0डी0एस0/स्नातकोत्तर/पी0जी0 डिप्लोमा एवं सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले
छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भरवाने के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त
निम्नवत् नीति निर्धारित किये जाने की श्री सचिवाल सहब स्वीकृति प्रदान करते हैं—

1. प्रदेश के राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/संस्थानों/यिकित्सा विश्वविद्यालयों में
रनातक (एम0बी0बी0एस0) / बी0डी0एस0 / स्नातकोत्तर / पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं
सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से अनिवार्य शासकीय सेवा से
सम्बन्धित एमीमेन्ट बाण्ड (प्रारूप सलग्न) भरवाने को सम्बन्ध में तालिका में उल्लिखित
विवरणानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय—

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	बाण्ड की अवधि	बाण्ड की धनराशि	सेवा का स्थान
1	स्नातक (एम0बी0बी0एस0 / बी0डी0एस0)	02 वर्ष	रु0 10.00 लाख ~	महानगरी को छोड़कर अन्य जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कालेजों में नौन पी0जी0 जे0आर0 के रूप में तथा यिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक केन्द्र में सविदा यिकित्सा अधिकारी के रूप में।
2	स्नातकोत्तर (एम0डी0 / एम0एस0 / एम0डी0एस0 / पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम)	02 वर्ष	रु0 40.00 लाख (डिशी टेटु) रु0 20.00 लाख (पी0जी0 डिप्लोमा एम0डी0एस0 टेटु)	महानगरों को छोड़कर राजकीय मेडिकल कालेजों में सीनियर रेजीडेंट अयवा सविदा प्रभक्ता तथा यिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सचालित महानगरों को छोड़कर जिला यिकित्सालयों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में सविदा विशेषज्ञ यिकित्सक के रूप में।

3	सुपर स्पेशियलिटी (डी० एम०/ एम०सी०एच०)	02 वर्ष	₹० 100.०० लाख	राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ विकित्सा विश्वविद्यालयों अथवा राज्य के जिला अथवा मण्डल विकित्सालयों में संविदा प्रवक्ता अथवा संविदा सुपर स्पेशियलिटी विशेषज्ञ विकित्सक के रूप में।
---	---	---------	------------------	---

2. उक्त बाण्ड निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निष्पादित की जायेगी:-
1. बाण्ड से विचलन की दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी (पी०एम०एच०एस० संवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्रीधारी विकित्साधिकारियों को छोड़कर) को बाण्ड की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। बाण्ड की धनराशि संबंधित विकित्सा महाविद्यालय/ संस्थान/ विश्वविद्यालय तत्त्व पर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए प्रधानाचार्य/ निदेशक/ कुलसचिव के माध्यम से महानिदेशक विकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ०प्र० द्वारा राजकीय कोषागार में जमा करायी जायेगी।
 2. बाण्ड से विचलन की दशा में यदि कोई अभ्यर्थी बाण्ड की धनराशि जमा नहीं करता, तो इसकी वसूली भू राजस्व की भाँति की जायेगी।
 3. ऐसे विकित्सकों (एम०बी०बी०एस० / बी०डी०एस० / स्नातकोत्तर डिग्री धारक / पी०जी० डिप्लोमा पाठ्यक्रम / एम०डी०एस०) को वहीं परिलक्षियों तथा मारिक मानदेय प्रदान किए जायेंगे जैसा कि यथास्थिति नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट / सीनियर रेजीडेण्ट अथवा चाक—इन इन्टरव्यू के माध्यम से प्राप्त संविदा विकित्सकों को किए जाते हैं।
 4. सुपर स्पेशियलिटी विकित्सकों को संविदा के आधार पर मासिक मानदेय तथा परिलक्षियों निर्धारित करने की कार्यवाही नियमानुसार पृथक से की जायेगी।
 5. बाण्ड भरे जाने से किसी भी अभ्यर्थी को राजकीय सेवा अथवा राजकीय मेडिकल कालेजों/ संस्थानों/ विकित्सा विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से सेवायोजित किए जाने का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होगा। शासन द्वारा यथावश्यक उपलब्ध रिक्तियों के रापेक्ष ही उनको निर्धारित अवधि तक के लिए ही सेवायोजित किया जायेगा।
 6. राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थी के सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने की तिथि से अधिकतम 03 माह की अवधि तक सम्बन्धित अभ्यर्थी को सेवायोजित न किए जाने की दशा में उनका बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा। यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी उच्चतर पाठ्यक्रम हेतु नियमानुसार चयनित हो जाता है तो तदनुसार उसके द्वारा किए गये अनुरोध के क्रम में बाण्ड रिलीज कर दिया जायेगा।
 7. अभ्यर्थी को आवश्यक मानदेय तथा परिलक्षियों का भुगतान सम्बन्धित विभाग, विकित्सा शिक्षा विभाग या विकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जहाँ अभ्यर्थी सेवायोजित होगा, के द्वारा किया जायेगा।

३. प्रस्तावित हिपोथीस बाबत मे लक्षित पद भी सम्बन्धित प्रकार इकाई की ओर से एकीकरण बाबत पर इस्योंसे उत्तरी हुए ताक़ियात मख्तुम/सेहितक बाबत उत्तरी/पुर्णिमाती के बाबत अधिकारी को विजित्वा किया गियां द्वारा नवीन विजय प्राप्तिः।

२— वहां रिटेली का कार्यालय है जहां उत्पादन और वितरण किया जाता है।

新编教材

४८

प्रतिक्रिया विनाशकित को बहुती रुद्र अवस्था लाती है। ऐसा

- प्रमुख विद्यार्थी, जो प्रमुखपूर्वी और अब्दूल शासन।
 - ददरा शासितर, पुरुष शासित, चाहूँ शासन।
 - प्रमुख संस्कार, विशेषज्ञ शासन, एवं नियंत्रण शासन विशेष चाहूँ शासन।
 - प्राचीनोदय, विशेषज्ञ एवं व्यापक शिखान, अब्दूल शासन।
 - अनुसन्धान, विशेषज्ञ आवश्यक विशेषज्ञ शासन, अब्दूल शासन।
 - कृत्यानि, उच्च अनुसन्धान विशेषज्ञ शासन, शैक्षणि, इटावा।
 - विशेषज्ञ, एवं अनुसन्धान विशेषज्ञ शासन।
 - विशेषज्ञ, जो वह व्यापक लोकोपयोगी अनुसन्धान शासन, अब्दूल शासन।
 - विशेषज्ञ, पुरुष अनुसन्धान व्यापक विशेषज्ञ एवं व्यापक शासन, अब्दूल शासन।
 - गिर्दावाक, वारकरीय अनुसन्धान शासन, उत्तर भैरवा।
 - अनुसन्धान, व्यापक लोकोपयोगी अनुसन्धान कालाजे, अब्दूल शासन। ५. विशेषज्ञ व्यापक अब्दूल शासन।
 - व्यापक पुस्तक विशेषज्ञ शासन, उत्तर भैरवा, गिर्दावाक, विशेषज्ञ व्यापक अब्दूल शासन।
 - विशेषज्ञ विशेषज्ञ अब्दूल शासन।
 - गांडी शासन।

3000 30

१५८

कार्यालय भवनानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उम्मीद, लखनऊ।

卷之三-2009-3/2010/ 409

प्राचीन रिव्यू | © वर्ष, २०१८

- साता-१०००-३/२०१७ वा. १

 १. विविध विवरण एवं व्यक्ति के जातीय सम्बन्धों की जांच-
 २. अपेक्षित विवरण एवं व्यक्ति की जांच, व्यवस्था-
 ३. व्यक्ति, जो जातीय सम्बन्धों के बाहर रहता है
 ४. व्यक्ति, जो अपेक्षित व्यक्ति के बाहर रहता है
 ५. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है
 ६. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है
 ७. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है
 ८. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है
 ९. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है
 १०. व्यक्ति, जो एवं व्यक्ति के बाहर रहता है

(१९८० शुभा)
वर्षान्तिनिर्देशन।